<u>न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान )</u>

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

<u>मुकदमा (अपील) नम्बर :– 34/2018</u> **(Rcms no: 2018/00100)**

<u>उनवानी प्रकरण</u> :–

शेर सिंह पुत्र तारासिंह जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर—— रेस्पोडेण्ट।

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

<u>अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2018 तहसीलदार बसेडी प्र.सं.271/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम शेरसिंह अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

<u>निर्णय दिनांक :–27.11.2018</u>

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.02.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बौरेली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 635, 1896 रकवा 0.19 हैक्टेयर किस्म बंजड नहरी दोयम पर फसल रवि सम्वत् 2074 में सरसो बोकर अपीलान्ट ने पश्चात्वर्ती अतिकमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

दर्ज कर अपीलान्ट को बिना सुने 103/–रूपये का जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। नोटिस पर किसी के फर्जी हस्ताक्षर है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया एवं अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिकमी बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट का कितने वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलान्ट द्वारा कब्जा किया गया था जबकि अपीलान्ट भूमि हीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर पुश्तैनी कब्जा है। अगर अपीलान्ट की सुनवाई होती तो वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के सामने रखते एवं नियमन की सिफारिश की प्रार्थना करते। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो कायदा कानून नहीं जानता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 23.4.2018 को पुलिस के जरिये हुई। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का 55 वर्ष से पुश्तैनी कब्जा है। अपीलान्ट यह समझते रहे कि यह आराजी उनके नाम नियमन हो जायेगी, इसलिये अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे एवं अपने परिवारजनों से काश्त कराते रहे। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाव का मौका दिया जाता तो वो जबावदेई करते एवं उसी समय विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड देते अब जैसे ही अपीलान्ट को सजा की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में अपना कब्जा नहीं करेगें, इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 12.02.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

दिनांक 23.10.2018 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 40 वर्ष पुराना कब्जा है। अपीलान्ट से पूछ कर कब्जा हटाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा। इस पर विद्वान अभिभाषक को दिनांक 19.11.2018 तक का समय शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिया गया । किन्तु अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया ।

दिनांक 19.11.2018 को पुनः उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्‌वती अतिक्मी मानते हुए बिना सुने 103/–रूपये का जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटिस पर किसी के फर्जी हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानते हैं। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का 40 वर्ष से पुश्तैनी कब्जा है। अपीलान्ट यह समझते रहे कि यह आराजी उनके नाम नियमन हो जायेगी इसलिये अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे एवं अपने परिवारजनों से काश्त कराते रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 23.4.2018 को पुलिस के जरिये हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी यह अंकित किया है कि उसका लगभग 55 वर्ष से कब्जा है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में लगभग 40 वर्ष से कब्जा होना बताया है तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु कथन किया किन्तु शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील पर अपीलान्ट के असल हस्ताक्षर नहीं हैं। क्योंकि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि :–

यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर लगभग 40 वर्ष पुराना पुश्तैनी कब्जा काश्त है । बहस में भी 40 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटिस पर किसी के फर्जी हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि नोटिस तामील प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु कथन किया किन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट की विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाने की मंशा नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर

( एन. एम. पहाड़िया )
जिला कलक्टर, धौलपुर